

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(चकबंदी निदेशालय)
संचिका संख्या-12/चक0-मु0-26(क)-2/2016 (खण्ड-II)


अधिसूचना

एस0ओ0 276 / दिनांक 19.03.18 बिहार जोत समेकन एवं खण्डकरण निवारण अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 22, 1956) की धारा 26(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल एतद् द्वारा यह घोषित करते हैं कि नए नक्शों और अभिलेख तैयार कर लिये जाने और समेकन स्कीम के अधीन रैयतों को अन्तरण प्रमाण पत्र जारी किये जाने के उपरांत इस अधिसूचना की तिथि से इससे सम्बद्ध अनुसूची में वर्णित ईकाईयों (ग्रामों) में जो उक्त अधिनियम की धारा 3(1) के अधीन अधिसूचित हैं, की समेकन संकियाएं बन्द की जाती है।

अनुसूची

क्रमांक	जिला का नाम	अंचल का नाम	मौजा का नाम	थाना नं०
1	भोजपुर	संदेश	धोबहा	404
2	भोजपुर	संदेश	बरा	418
3	बक्सर	राजपुर	मियनपुर	90
4	बक्सर	नवानगर	पाण्डेयपुर	342

बिहार राज्यपाल के आदेश से



16/3/18

सरकार के अवर सचिव।

एस0ओ0 276 / दिनांक 19.03.2018 / एस0ओ0

दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से


16/3/18

सरकार के अवर सचिव।

Revenue & Land Reforms Department
Directorate of Consolidation

Notification


File No. 12/चक0मु0-26(क)-02/2016 (Part-II)

S.O 276/चक0मु0 Dated 19.03.18 In exercise of the powers conferred by section 26(A) of Bihar Consolidation of Holdings and Prevention of Fragmentation Act, 1956 (Bihar Act XXII 1956) the Governor of Bihar is pleased to declare that on preparation of new maps and records and on issue of certificate of transfer to the Raiyats under the scheme the consolidation scheme is being closed with effect from date of this notification in the units (Villages) described in the schedule annexed here to which were notified under section 3(1) of the said Act for consolidation of holdings.

Schedule

Serial no.	Name of District	Name of Anchal	Name Units (Villages)	Revenue Thana no.
1	Bhojpur	Sandesh	Dhobaha	404
2	Bhojpur	Sandesh	Bara	418
3	Buxur	Rajpur	Miyanpur	90
4	Buxur	Nawanagar	Pandeypur	342

By Order of the Governor of Bihar



16/3/18

Under Secretary of Government

ज्ञाप संख्या 276 / चक0, दिनांक 19.03.2018

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/अवर सचिव, गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, चकबंदी निदेशालय, भूमि विकास बैंक, चौथी मंजिल, बुद्ध मार्ग, पटना को एवं 25-25 अतिरिक्त प्रतियाँ संयुक्त निदेशक, चकबंदी (मुख्यालय) बिहार, पटना/उप निदेशक, चकबंदी, भोजपुर को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजने का कष्ट करें।


16/3/18
सरकार के अवर सचिव।